न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1129 दिनांक – 21-5-19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दुर्गाराम 2 बांकाराम 3 शिवजीराम पिसरान मूलाराम जाति जाट निवासी आलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 गंगाराम 2 थानाराम पिसरान वीरमाराम जाति सुथार निवासी आलाणियों की ढाणी 3 चेतनराम पुत्र वीरमाराम जाति सुथार निवासी सर का पार 4 देदाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी भांभूओं की ढाणी माडापुरा बरवाला 5 ठाकराराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी आलाणियों की ढाणी बान्दरा 6 मूलाराम 7 भीयाराम पिसरान खेताराम जाति जाट निवासी भादूओं की ढाणी माडपुरा बरवाला 8 दीपाराम पुत्र ताजाराम जाति मेघवाल निवासी पुरोहितों की बस्ती मूढों की ढाणी 9 भींयाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी गुरूद्वारा के पास उतरलाई 10 रामराम पुत्र लाखाराम 11 फूली पत्नी लाखाराम जाति निवासी भांभूओं की ढाणी माडपुरा बरवाला 12 मुकनाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी भांभूओं की ढाणी माडपुरा बरवाला तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 42/2019 दिनांक– 17.05.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 861/538 रकबा 33.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1130 - 1133 दिनांक– 21-5-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दुर्गाराम पुत्र मूलाराम वगैराह जाति जाट निवासी आलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर हाल निवासी नोखा, बीकानेर।
4. विप्रार्थी गंगाराम पुत्र वीरमाराम वगैराह वगैराह जाति जाट निवासी आलाणियों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner